

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-1039/नौ-5-2014-221सा/2012
लखनऊ :: दिनांक: 03 मार्च, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के तहत प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में चरणबद्ध रूप से राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निर्णीत हुआ है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता के तहत राज्य सेक्टर के अन्तर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं का क्रियान्वयन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर कराया जाएगा। इसके अन्तर्गत निजी निवेश का निर्धारण परियोजना विशेष हेतु प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

2- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की परियोजनाओं के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर क्रियान्वयन के क्रम में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी गार्ड लाइन्स एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

जावेद उस्मानी
मुख्य सचिव।

संख्या-1039(1)/नौ-5-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/नियोजन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/बाह्य सहायतित परियोजना विभाग तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- एसएलएनए/निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 8- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 9- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- 10- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
3/03/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।